तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते बहस आदेश अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-11-19 को पेश हो।
22-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वास्ते वास्ते आदेश पत्रावली 29-11-19 को पेश हो।
29-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी के हिस्से तक स्थगन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 52 / 2016 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 14.09.2016 जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. प्रभूलाल पुत्र अर्जुन जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रार्थी –

बनाम

1. शिवराज पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. छीतरलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित :– श्री बालकिशन रायका एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 29.11.2019

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नई 126 पुरानी 123 के खसरा नं0 601 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नं0 602 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नं0 603 रकबा 4.04 हैक्टर, खसरा नं0 607 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नं0 609 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 610 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नं0 611 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 626 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 627 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नं0 635 रकबा 3.12 हैक्टर, खसरा नं0 636 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 637 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नं0 638 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 641 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं0 642 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नं0 643 रकबा 0..40 हैक्टर, खसरा नं0 645 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 646 रकबा 4.84 हैक्टर, खसरा नं0 647 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नं0 648 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नं0 649 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 652 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं0 657 रकबा, खसरा नं0 658 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नं0 659 रकबा 1.49 हैक्टर कुल किता 25 कुल रकबा 23.98 हैक्टर वाके ग्राम नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विरिथत है। जिसमें प्रार्थी 1 / 16 हिस्से का खातेदार कृषक है। अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी की कृषि भूमि हिस्सा 1 / 16 पर कब्जा करना चाहते एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवर्ष की भांति हाकने जोतने दिनांक 05.06.2016 को गया तो अप्रार्थी 1 व 2 ने प्रार्थी को हाकने से मना कर दिया। दौराने वाद अप्रार्थीगण अपने मनसूबों मे कामयाब हो गये प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किये जाना

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

सम्भव नही है। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी के हिस्से 1/16 पर अप्रार्थीगण ताकत के बल पर कब्जा नही करने हेतु जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित नही होने पर दिनांक 19.01.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 निहित होकर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है और काबिज काश्त है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में वाद विषयक आराजी में प्रार्थी हिस्सा 1/16 का सहखातेदार कृषक दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वाद विषयक आराजी के सहखातेदार कृषक नही है। और न ही उनका वाद विषयक आराजी से कोई विधिक सम्बन्ध होना नही पाया जाता है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा क्षति का सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खाता संख्या नई 126 पुरानी 123 के खसरा नं0 601 रकबा 1.04 हैक्टर, खसरा नं0 602 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नं0 603 रकबा 4.04 हैक्टर, खसरा नं0 607 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नं0 609 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नं0 610 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा नं0 611 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 626 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 627 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नं0 635 रकबा 3.12 हैक्टर, खसरा नं0 636 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 637 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नं0 638 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं0 641 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नं0 642 रकबा 0.98 हैक्टर, खसरा नं0 643 रकबा 0..40 हैक्टर, खसरा नं0 645 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 646 रकबा 4.84 हैक्टर, खसरा नं0 647 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नं0 648 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नं0 649 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 652 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं0 657 रकबा, खसरा नं0 658 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नं0 659 रकबा 1.49 हैक्टर कुल किता 25 कुल रकबा 23.98 हैक्टर वाके ग्राम नवलपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विस्थित कृषि भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 के सम्बन्ध में जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी के हिस्से 1/16 कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करते हुये प्रार्थी को बेदखल नही करें। और प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करें। ऐसा न तो स्वयं करें और न किसी प्रतिनिधी से करावें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी